चण्डीगढ़ प्रशासन जरिए निदेशक लोक निर्देशन (कॉलेज) चण्डीगढ़

बनाम

उषा खेत्रपाल वेई एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 7570/2011)

02 सितम्बर, 2011

(आर.वी. रविन्द्रन एवं मार्कण्डेय काटजू, न्यायाधीश)

चण्डीगढ शैक्षणिक सेवा (राजपत्रित समूह ए) राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय नियम, 2000 अपीलार्थी-चण्डीगढ प्रशासन द्वारा नियम 2000 संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तैयार कर भारत सरकार को भारत के राष्ट्रपति के नाम से प्रकाशन हेतु भेजा गया था। नियमों पर विचार किए जाने तक, 2000 भर्ती नियमों के संदर्भ में विवादित विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए पी.एच.डी. को पात्रता मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया-विज्ञप्ति की वैधता अभिनिर्धारण-नियम 2000 को अधिसूचना हेतु भेजते समय अपीलार्थी को इसमें अत्यधिक विलम्ब होने या राष्ट्रपति द्वारा नियमों को अधिसूचित नहीं किया जाएगा, के बारे में अनभिज्ञता थी। अपीलार्थी की नियमों को लागू करने की स्पष्ट मंशा,क्योंकि उक्त नियम यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श कर तैयार किए गए थे। यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित करने के लिए

केंद्र सरकार को भेजा गया था और विज्ञप्ति जारी होने के दौरान यह मामला कुछ महीनों के लिए विचाराधीन था। इसलिए, भर्ती नियम 2000 के संदर्भ में विज्ञप्ति मान्य थी - वैध नियमों के अभाव में भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि विज्ञप्ति अविधिमान्य थी-कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपीलार्थी समय-समय पर उन सभी मामलों के संबंध में प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकता है जो संविधान या कानून के तहत बनाए गए किसी कानून या नियमों द्वारा शासित नहीं हो

प्रशासनिक विधिः कार्यकारी कार्यवाही - न्यायिक समीक्षा - अभिनिर्धारण- न्यायालय और न्यायाधिकरण न तो किसी भर्ती के लिए योग्यता निर्धारित कर सकते हैं और न ही संबंधित प्राधिकरण की शक्तियों पर रोक लगा सकते हैं जब तक कि नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रासंगिक योग्यताएं उचित हों और पद से जुड़े कार्यों और कर्तव्यों के साथ तार्किक संबंध हो और संविधान, कानून और नियमों के किसी भी प्रावधानो का उल्लंघन करने वाली न हो - चण्डीगढ शैक्षणिक सेवा (राजपत्रित समूह ए) राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय नियम, 2000 अभिनिर्धारणः किया

सेवा विधिः चयन प्रकिया - यह नियम बनाने वाले प्राधिकरण या नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा किसी भी भर्ती के लिए चयन की प्रकिया और न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए है।

अपीलार्थी ने चण्डीगढ शैक्षणिक सेवा (राजपत्रित समूह ए) राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय नियम, 2000 दिनांक 01.04.2000 के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा तैयार कर दिनांक 29.3.2000 को अधिसूचित किया। उक्त नियम संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के परामर्श से तैयार किए गए थे और भारत के राष्ट्रपति के नाम पर जारी होने के लिए भारत सरकार को भेजे गये। उक्त नियमों के अनुसार, राजकीय कला एवं विज्ञान कॉलेजों में प्राचार्य के पदों पर 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जानी थी। उक्त नियमों मे प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती हेतु पीएच.डी. की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.7.2001 को प्राचार्य (जो 31.7.2001 को रिक्त होने वाली थी) की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की जिसमें उक्त नियमों के अनुरूप निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गएः आहर्ताएः (1) डॉक्टरेट डिग्री या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री, (2) किसी विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध कॉलेज में स्नातक कक्षाओं को 12 साल के अध्यापन का अनुभव।

रेस्पोडंट संख्या 1 से 4 राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे और यूटी कॉलेजों (कला एवं विज्ञान) के कैडर में 1969 और 1970 में शामिल हुए थे उनमें से कोई भी पीएच.डी डिग्री धारक नही था। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष

भर्ती नियम और दिनांक 14.7.2001 की विज्ञप्ति को असंवैधानिक होना बताते हुए उन्हें यूटी कैडर के अन्य योग्य उम्मीदवारों के साथ उक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार में लेने के सम्बन्ध में निर्देशित करने हेतु साधारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। ट्रिब्यूनल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि योग्यता के सम्बन्ध मे निर्धारित भर्ती नियमों के अभाव में प्राचार्य पद की पात्रता के लिए पीएच.डी डिग्री की आवश्यकता नहीं है और इसलिए अधिकरण ने प्राचार्य के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले दिनांक 14.7.2001 को जारी विज्ञप्ति को रद्द कर दिया और अपीलार्थी को पात्रता मानदंड और पूर्ववर्ती प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, जब तक कि नियम तैयार नहीं किए जाते और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित नहीं किए जायें तब तक, विधि अनुसार रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश को अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर की गई।

उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार की अभिनिर्धारित किया गया

1.1. उच्च न्यायालय द्वारा जब फैसला किया गया था उस समय तक नियमित नियम पांच साल बाद भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया था, इस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञप्ति को खारिज किया गया। परन्तु विज्ञप्ति जारी किए जाने के समय

अपीलार्थी का क्या आशय था, के सम्बन्ध में विज्ञप्ति की वैधता का परीक्षण किया जाना प्रांसगिक था। तत्समय अपीलार्थी का भविष्य में भर्ती नियमों को लागू करने का स्पष्ट आशय था क्योंकि नियमों को यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूपीएससी के परामर्श से तैयार किया जाकर, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया था और जब विज्ञप्ति जारी की गई तो मामला कुछ महीनों से विचाराधीन था। उस समय अपीलार्थी को इस बात का कोई आभास नहीं था कि अत्यधिक विलम्ब होगा या राष्ट्रपति द्वारा नियमों को अधिसूचित नहीं किया जा सकेगा। इसलिए, चण्डीगढ शैक्षणिक सेवा (राजपत्रित समूह ए) राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय नियम, 2000 के संदर्भ में विज्ञप्ति वैध थी। (पैरा 10)(410-सी-ई)

1.2. वैध नियमों के अभाव में भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि विज्ञप्ति अमान्य थी। अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपीलार्थी समय-समय पर उन सभी मामलों के संबंध में प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकता था जो संविधान या कानून के तहत बनाए गए किसी कानून या नियमों द्वारा शासित नहीं थे। वास्तव में यह अप्रार्थीगण का मामला है कि अपीलार्थी ने 20.8.1987 को ऐसे निर्देश जारी किए थे जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि यू. टी. संवर्ग के व्याख्याताओं को प्राचार्य के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए। वास्तव में, अपीलार्थी के प्रशासक ने अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए

पंजाब नियमों के सुसंगत 13.1.1992 को एक अधिसूचना जारी की, यदि ऐसा है, तो अपीलार्थी का प्रशासक भर्ती के लिए योग्यता के संबंध में नए निर्देश जारी कर सकता है। प्रशासक द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों को विधिवत अधिसूचित किया गया था। हालाँकि यह नियम अनुच्छेद 309 के तहत नहीं थे, फिर भी वे मामले को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम के अभाव में कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग से जारी किए गए प्रशासनिक निर्देशों के रूप में वैध थे। प्रशासक द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद, वे बाध्यकारी कार्यकारी निर्देश बन गए जो अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाए जाने तक लागू रहेंगे। इसलिए, उक्त भर्ती नियमों के संदर्भ में जारी विज्ञप्ति वैध थी। है। (पैरा 11) (410-एफ-एच, 411-ए-बी)

अब्राहम जैकब बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1998 (4) एससीसी 65 1998 (1) एससीआर 780य विमल कुमारी बनाम हरियाणा राज्य 1998 (4) एससीसी 114 1998 (1) एससीआर 658-मानी गई।

2. न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि अपीलार्थी पीएच. डी. की अहर्ता निर्धारित नहीं कर सकता था, क्योंकि प्राचार्य के पद के लिए पहले उक्त शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं थी या ना ही अपेक्षित थी। भर्ती नियम यूपीएससी के परामर्श से तैयार किए गए थे, ताकि यूजीसी के दिशा-निर्देश अनुरूप पीएच.डी डिग्री को प्राचार्यों के

पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्रता योग्यता के रूप में निर्धारित किया जा सके। वास्तव में, यहां तक कि पंजाब शैक्षणिक सेवा (कॉलेज ग्रेड (कक्षा-प्रथम) नियम, 1976 मे पीएच.डी डिग्री की योग्यता निर्धारित की गई। इसी प्रकार कई राज्यों में, कॉलेज प्रचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएच.डी अपेक्षित है। जब उक्त योग्यता प्राचार्य के पद के कर्तव्यों और कार्यों से असंबंधित नहीं है और शिक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए यथोचित रूप से प्रासंगिक है, तो अपेक्षित योग्यता के रूप में उक्त प्रावधान में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। अब यह निश्चित हो गया है कि किसी भी भर्ती के लिए चयन की प्रक्रिया और न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना नियम बनाने वाले प्राधिकरण या नियुक्ति प्राधिकरण का कार्य है। जब तक नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यताएं यथोचित रूप से प्रासंगिक हैं और पद से जुड़े कार्यों और कर्तव्यों के साथ उनका तर्क संगत संबंध है और संविधान, कानून और नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, तब तक न्यायालय और न्यायाधिकरण न तो योग्यता निर्धारित कर सकते हैं और न ही संबंधित प्राधिकरण की शक्तियों पर अंकुश लगा सकते हैं। किसी भी नियमों के अभाव में, अनुच्छेद 309 या कानून के तहत, अपीलार्थी को प्रशासन की अपनी सामान्य शक्तियों के तहत नियुक्ति करने और ऐसे पात्रता मानदंड निर्धारित करने की शक्तियां थी, जिन्हे आवश्यक और उचित पाया गया। इसलिए, यह नहीं

कहा जा सकता है कि पीएच.डी की योग्यता का अभिनिर्धारण अनुचित है। (पैरा 12)(411-सी-जी, 412-ए-बी)

जे. रंगास्वामी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 1990 (1) एस. सी. सी. 288 य पी.यू. जोशी बनाम महालेखाकार 2003 (2) एससीसी 632; 2002 (5) पूरक. एससीआर 573-मानी गई।

3. अधिकरण और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिकरण 1989 और 1991 में दिनांक 20.8.1987 के पूर्ववर्ती प्रशासनिक निर्देशों को स्वीकार कर, यू. टी. संवर्ग के कर्मचारियों को उक्त पद की भर्ती के लिए योग्य माना। तथ्य यह है कि उस समय पीएच.डी डिग्री पर जोर नहीं दिया गया था इसका अर्थ यह नहीं है कि भविष्य में कभी भी पीएच.डी डिग्री की योग्यता अपेक्षित नहीं होगी। यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पीएच.डी. डिग्री को सीधी भर्ती में अपेक्षित योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है जिसे यूपीएससी द्वारा स्वीकार किया गया। अतः केवल इसलिए कि कुछ पूर्व के अवसरों पर, प्रिंसिपल के पदों को यू.टी. कैडर के व्याख्याताओं द्वारा पीएच.डी. डिग्री के बिना भी भरा गया था। यह तर्क संगत नहीं है कि इसके बाद पीएच.डी. डिग्री को अपेक्षित योग्यता के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता हो। (पैरा 13) (412-बी-डी)

4. अधिकरण एवं उच्च न्यायालय का यह निर्धारण सही नहीं है कि 1976 के पंजाब के नियम प्रभावी नहीं है, क्योंकि पूर्व में प्रिंसिपल के पद

पर नियुक्ति देते समय उन्हे माने जाने का कोई प्रमाण/दस्तावेज पेश नहीं किए गए। जबकि अपीलार्थी ने अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले पंजाब नियमों को अपनाते हुए दिनांक 13.1.1992 को अधिसूचना जारी की थी, विवादित नहीं है। इसलिए, जब अपीलार्थी ने उक्त निर्देशों के अनुसार कार्य किया, तो यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या 1992 से 2001 के मध्य उक्त नियमों को वास्तव में उन्हें लागू किया गया था। दिनांक 13.01.1992 की अधिसूचना को अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अभिनिर्धारण से अपास्त नहीं किया जा सकता। (पैरा 14) (412-ई-जी)

5. अधिकरण के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन को खारिज किया जाता है। चण्डीगढ प्रशासन को 14 तारीख की अधिसूचना जारी होने से पूर्व के निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार प्राचार्यों की रिक्तियों को भरने के निर्देश देने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।नोटिफिकेशन, जो यह प्रावधित करता है कि सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता डॉक्टरेट की डिग्री या समकक्ष 55 प्रतिशत अंक मास्टर डिग्री परीक्षा में या डिग्री क्लासेज में किसी विश्वविद्यालय या इससे सम्बद्व कॉलेज में 12 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव रखने की योग्यता हो, बरकरार रखा जाता है। (पैरा 15)(412-एच, 413-ए-बी)

न्यायिक दृष्टांतः

1998 (1) एससीआर 780 माना गया पैरा 10

1998 (1) एससीआर 658 माना गया पैरा 10

1990 (1) एससीसी 288 माना गया पैरा 12

2002 (5) पूरक एससीआर 573 माना गया पैरा 12

दीवानी अपीलीय क्षेत्राकाधिकारः दीवानी अपील संख्या 7570/2011.

सिविल रिट याचिका सं. 16798-सीएटी/2003 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के दिनांक 26.10.2005 के निर्णय और आदेश से.

अपीलार्थी की ओर से कामिनी केसवाल।

अप्रार्थीगण की ओर से पी.एन. पुरी, धीरज, रीटा धवन पुरी, बीनू तम्ता, सुषमा सूरी।

न्यायालय का निर्णय

आर.वी. रविन्द्रन, न्यायाधीश द्वारा दिया गया।

1. अपील स्वीकार।

2. केंद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ में चार राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय हैं। चण्डीगढ प्रशासन, जो यहां अपीलांट है, 1988 तक प्राचार्य के पदों पर अपने निकटवर्ती राज्यों पंजाब और हरियाणा से प्रतिनियुक्ति के

द्वारा भर्ती किया करता था। जब गवर्नमेंट कॉलेज फॉर ब्वॉयज, सेक्टर 11, चंडीगढ़ में प्रिंसिपल का पद 29.2.1988

को एक प्रतिनियुक्ति की सेवानिवृत्ति पर खाली होने वाला था, में यूटी कैडर के दो व्याख्याताओं ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, पड़ौसी राज्यों से किसी को प्रतिनियुक्ति पर लेने के बजाय राजकीय कला एवं विज्ञान कॉलेजों में आचार्य के पद हेतु यूटी कैडर के व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु वरीयता देने हेतु आग्रह किया। अंततः उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण चण्डीगढ़ प्रशासन को इस निर्देश के साथ किया गया कि वह आवेदकों और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अन्य व्याख्याताओं के मामले में प्रासंगिक मानदण्ड जो एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए हों के आधार पर राजकीय कला एवं विज्ञान कॉलेजों के प्राचार्यों के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए, विचार किया जाकर, जो उपयुक्त पाए जाएं उन्हें नियुक्त करें। उक्त आदेश की पालना में चण्डीगढ़ प्रशासन ने प्राचार्य के पद पर 30 वर्षों का व्याख्याता के रूप में अनुभव को निर्धारित किया। हांलाकि (1989-90) में किसी भी व्याख्याता को 30 वर्ष का अनुभव नहीं था। इस प्रकार यूटी केडर के किसी भी व्याख्याता को उक्त अनुभव नहीं होने के कारण पुनः प्रतिनियुक्ति से ही इन कॉलेज में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति दी गई।

3. असंतुष्ट, यूटी कैडर के व्याख्याताओं ने फिर से अधिकरण की शरण ली और उनके आवेदनों को अधिकरण द्वारा दिनांक 12.1.1991 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई, जिसमें 30 वर्ष के अनुभव को निर्धारित करने वाले आदेश और प्रतिनियुक्तियों की नियुक्ति के आदेश को भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद, जब भी रिक्तियां उत्पन्न हुई तो अपीलार्थी ने यूटी कैडर के व्याख्याताओं को प्रधानाचार्यों के रूप में पदोन्नत किया। यह उल्लेखनीय है कि इस तरह पदोन्नत व्यक्तियों के पास पीएच.डी. डिग्री नहीं थी।

4. चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब के सेवा नियमों को अपनाते हुए अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए, जहां इसे नियंत्रित करने वाले कोई नियम नहीं थे, दिनांक 13.1.1992 की अधिसूचना जारी की जो 1.4.1991 से प्रभावी थे। इसके फलस्वरूप पंजाब शिक्षा सेवा (कॉलेज ग्रेड) (कक्षा प्रथम) नियम, 1976 (जैसा कि 1983 में संशोधित किया गया था (संक्षेप में '1976 पंजाब नियम')

के प्रावधान यूटी कॉलेज कैडर में उम्मीदवारों की भर्ती के संबंध में लागू हो गए। उक्त 1976 के पंजाब नियमों के तहत, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव इस प्रकार थाः सीधी भर्ती के लिएः (ए) प्रासंगिक विषय में एमए, प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी (50 प्रतिशत) या आठ साल के अध्यापन अनुभव के साथ एक विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष डिग्री (बी) पीएच.डी. आठ साल के अध्यापन अनुभव के साथय पदोन्नति

के लिएः कम से कम आठ वर्षों के लिए व्याख्याता के रूप में काम करने का अनुभव।

5. जब यह स्थिति थी तो चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासक ने दिनांक 1.4.2000 के राजपत्र में दिनांक 29.3.2000 को प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से ''चंडीगढ़ शैक्षिक सेवा (समूह ए राजपत्रित) राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय नियम, 2000 (संक्षिप्त में 'भर्ती नियम')'' तैयार किया और अधिसूचित किया। उक्त नियमों को संघ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'यूपीएससी') के परामर्श से तैयार किया गया था और भारत के राष्ट्रपति के नाम पर जारी करने के लिए भारत सरकार को भेजा गया था। उक्त नियमों के अनुसार, राजकीय कला एवं विज्ञान कॉलेजों में प्रिंसिपल के पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत और पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत थी। उक्त नियमों में सीधे भर्ती द्वारा प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति के लिए पीएच.डी. की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की। अपीलार्थी ने 14.7.2001 को प्राचार्य के पद (जो 31.7.2001 को रिक्त हो रहा था) की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें उक्त नियमों के अनुसार अग्रलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए थे-

''सीधी भर्तियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएँः जरूरीः (अ) डॉक्टरेट की डिग्री या समकक्ष। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से मास्टर डिग्री स्तर पर कम से कम 55

प्रतिशत अंकों के साथ, (ब) किसी विश्वविद्यालय या समकक्ष से संबद्ध कॉलेज में डिग्री कक्षाओं का 12 वर्ष का अध्यापन अनुभव।"

6. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे और यूटी कॉलेजों (कला एवं विज्ञान) के कैडर में 1969 और 1970 में शामिल हुए थे उनमें से कोई भी पीएच.डी डिग्री धारक नही था। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष भर्ती नियम और दिनांक 14.7.2001 की विज्ञप्ति का असंवैधानिक होने एवं उन्हें यूटी कैडर के अन्य योग्य उम्मीदवारों के साथ उक्त पद पर पदोन्नति हेतु पात्र मानने के सम्बन्ध में निर्देशित करने हेतु साधारण प्रार्थना पत्र संख्या 684/सीएच/2001 प्रस्तुत किया।

यह तर्क दिया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के पास उक्त भर्ती नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ऐसे नियम बनाने हेतु केवल भारत के राष्ट्रपति ही सक्षम थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पहले अपीलार्थी ने पीएच.डी. की योग्यता के बिना व्याख्याताओं को प्राचार्यों के रूप में पदोन्नत किया था। इस प्रकार पूर्व में निर्धारित अपनायी जाकर जाती तो वे प्राचार्य के पद के लिए विचार किए जाने के पात्र थे, हालांकि उनके पास पीएच.डी. डिग्री नहीं थी।

7. अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष दायर आपत्तियों में स्वीकार किया कि ''प्रथम श्रेणी के पदों के लिए भर्ती नियमों को अधिसूचित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।'' अपीलार्थी ने कहा कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के नाम से उक्त नियमों को अधिसूचित करने के लिए दिनांक 21.9.2001 के पत्र के तहत भारत सरकार को भर्ती नियम अग्रेषित किया था, और ऐसी अधिसूचना की प्रतीक्षा की जा रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि नियमों का प्रकाशन लंबित रहने तक, वे प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर तैयार नियमों के संदर्भ में भर्ती कर सकते हैं। अपीलार्थी ने यह तर्क देते हुए आवेदन का भी विरोध किया कि प्रश्नगत पद को सीधी भर्ती कोटा के तहत भरा जाना आवश्यक था, और कोई भी आवेदक पात्र नहीं था क्योंकि उनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('यूजीसी' द्वारा निर्धारित योग्यता) और यूपीएससी द्वारा अनुमोदित अनिवार्य पात्रता पीएच.डी. की डिग्री नहीं थी, और इसलिए उनका उक्त पद पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया।

8. उक्त आवेदन (साधारण आवेदन संख्या 648-सीएच 2001) अधिकरण द्वारा

स्वीकार किया और अधिकरण के दिनांक 22.04.2002 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि पीएच.डी. डिग्री की शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में भर्ती नियमों के अभाव में पीएचडी डिग्री प्राचार्य पद के लिए

आवश्यक नहीं थी। अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि यूजीसी दिशा-निर्देश 25 प्रतिशत सीधी भर्ती के नियमों पर प्रभावी नहीं थे। और बावजूद इसके यदि नये नियम बनाये जाते हैं तो वो दिनांक 31.07.2000 तक की रिक्तियों पर प्रभावी न होकर आगामी रिक्तियों पर प्रभावी होंगे। साथ ही नियमों के अभाव में पूर्व के निर्णयों 12.09.1989 और 12.11.1991 से मार्गदर्शन लिया जाना उचित प्रतीत होता है। जिसमें दिनांक 20.08.1987 के प्रशासनिक निर्देशों के स्वीकार किया , यूटी केडर के व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई, हाँलांकि वे पीएच.डी डिग्री धारक नहीं थे। अधिकरण ने अपीलार्थी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि दिनांक 13.1.1992 की अधिसूचना के अनुसार, 1976 के पंजाब नियम लागू हो गए, जिसके तहत 75 प्रतिशत पदों को पदोन्नति द्वारा और 25 प्रतिशत को पीएच.डी. के साथ सीधी भर्ती द्वारा पात्रता आवश्यकता के रूप में भरा जाना था, इस बाबत् कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये कि चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए उक्त 1976 के पंजाब नियमों का कभी पालन किया गया था। इसलिए अधिकरण ने प्राचार्य के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले दिनांक 14.7.2001 के विज्ञापन को रद्द कर दिया और अपीलार्थी को पात्रता मानदंड और पूर्व में प्रचलित नियमों के अनुसार रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया, जब तक कि नियम सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अधिसूचित नहीं किए जाते। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश को अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में चुनौती

दी थी। उच्च न्यायालय ने अधिकरण के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए दिनांक 26.10.2005 के आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया।

9. असंतुष्ट अपीलार्थी ने अग्रलिखित तर्कों के आधार पर विशेष अनुमति अपील प्रस्तुत कीः (अ) जब अपीलार्थी ने यूपीएससी के परामर्श से नियम तैयार किए हैं और नियमों को भारत के राष्ट्रपति के नाम से अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया है, तो नियमों की ऐसी अधिसूचना लंबित होने तक, वह उक्त नियमों

के संदर्भ में प्राचार्य के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने का हकदार था, उन्हें विचाराधीन मसौदा नियमों के रूप में मानते हुए। (ब) अधिकरण और उच्च न्यायालय अपीलार्थी द्वारा निर्धारित पात्रता अपेक्षाओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। (स) ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय 1.3.1992 की अधिसूचना को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, जहां चंडीगढ़ प्रशासन के कोई नियम नहीं थे, वहां अपने कर्मचारियों की सेवा को नियंत्रित करने के लिए संबंधित पंजाब नियमों को अपनाया गया था। (द) 1976 के पंजाब नियम लागू थे, और इसके संदर्भ में, पीएच.डी. की पात्रता आवश्यकता निर्धारित करके सीधे भर्ती द्वारा प्रिंसिपल के एक पद को भरने के लिए विज्ञापन मान्य था। अपीलार्थी ने यह भी बताया कि ट्रिब्यूनल की एक अन्य पीठ ने साधारण आवेदन संख्या 844-सीएच 1994 में आदेश दिनांक

3.8.1995 द्वारा स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि भर्ती/रोजगार पर 1976 के पंजाब नियम लागू होंगे, जो पंजाब नियमों को अपनाने वाले चंडीगढ़ प्रशासन की दिनांक 13.1.1992 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए है और चूंकि अधिकरण के दो फैसलों के बीच स्पष्ट विचलन था, इसलिए उच्च न्यायालय यांत्रिक रूप से अधिकरण के फैसले की पुष्टि नहीं कर सकता था कि 1996 के पंजाब नियम लागू नहीं थे।

10. पहला विचारणीय प्रश्न है कि क्या अपीलार्थी विज्ञप्ति में अपने भर्ती नियम 2000 के संदर्भ में प्राचार्य के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर सकता था। चण्डीगढ़ प्रशासन के प्रशासक ने दिनांक 29.3.2000 की अधिसूचना द्वारा चंडीगढ़ शैक्षिक सेवा (राजपत्रित समूह ए) राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय नियम, 2000 बनाये और इसे दिनांक 1.4.2000 को राजपत्र में प्रकाशित किया। उक्त नियम यूपीएससी के परामर्श से बनाए गए थे, जिसमंे यूजीसी के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्राचार्यों के पद के लिए पीएच. डी. डिग्री को पात्रता के रूप में मानदण्ड माना। इन नियमों को भारत के राष्ट्रपति के नाम से अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया था और इन पर विचार किया जाना बाकी था। इन परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा उक्त नियमों के संदर्भ में पीएच.डी. डिग्री को शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर, विज्ञप्ति जारी की गई। अब्राहम जैकब बनाम भारत संघ (1998 (4)एस.सी.सी. 65)

में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वे ड्राफ्ट नियम जो तैयार किए गए हैं, जिन्हे बाद में अंतिम रूप दिया जाना था, उसके अनुसार पदोन्नति करने के लिए लिया गया एक प्रशासनिक निर्णय वैध था। विमल कुमारी बनाम हरियाणा राज्य (1998 (4) एस. सी. सी. 114) में इस अधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित किया कि यह सरकार के लिए उन कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए खुला है जिनके लिए नियम बनाए गए थे, भले ही वे अपने ड्राफ्ट चरण में हों, बशर्ते कि निकट भविष्य में सरकार का उक्त नियमों को लागू करने का स्पष्ट आशय हो। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा जब फैसला किया गया था उस समय तक नियमित नियम पांच साल बाद भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया था, इस इस आधार विज्ञप्ति को खारिज किया गया। परन्तु विज्ञप्ति जारी किए जाने के समय अपीलार्थी का क्या आश्य था, के सम्बन्ध में विज्ञप्ति की वैधता का परीक्षण किया जाना प्रांसगिक था। तत्समय अपीलार्थी का भविष्य में भर्ती नियमों को लागू करने का स्पष्ट आशय था क्योंकि नियमों को यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूपीएससी के परामर्श से तैयार किया जाकर, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया था और जब विज्ञप्ति जारी किया गया था तो मामला कुछ महीनों से विचाराधीन था। उस समय अपीलार्थी को इस बात का कोई आभास नहीं था कि अत्यधिक विलम्ब होगा या राष्ट्रपति द्वारा नियमों को अधिसूचित नहीं किया जा सकेगा। इसलिए,

चण्डीगढ शैक्षणिक सेवा (राजपत्रित समूह ए) राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय नियम, 2000 के संदर्भ में विज्ञप्ति वैध थी।

11. वैध नियमों के अभाव में भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि विज्ञप्ति अमान्य थी। अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपीलार्थी समय-समय पर उन सभी मामलों के संबंध में प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकता था जो संविधान या कानून के तहत बनाए गए किसी कानून या नियमों द्वारा शासित नहीं थे। वास्तव में यह अप्रार्थीगण का मामला है कि अपीलार्थी ने 20.8.1987 को ऐसे निर्देश जारी किए थे जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि यू. टी. संवर्ग के व्याख्याताओं को प्राचार्य के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए। वास्तव में, अपीलार्थी के प्रशासक ने अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए पंजाब नियमों के सुसंगत 13.1.1992 को एक अधिसूचना जारी की, यदि ऐसा है, तो अपीलार्थी का प्रशासक भर्ती के लिए योग्यता के संबंध में नए निर्देश जारी कर सकता है।

प्रशासक द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों को विधिवत अधिसूचित किया गया था। हालाँकि यह नियम अनुच्छेद 309 के तहत नहीं थे, फिर भी वे मामले को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम के अभाव में कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग से जारी किए गए प्रशासनिक निर्देशों के रूप में वैध थे। प्रशासक द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद, वे

बाध्यकारी कार्यकारी निर्देश बन गए जो अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाए जाने तक लागू रहेंगे। इसलिए, उक्त भर्ती नियमों के संदर्भ में जारी विज्ञप्ति वैध थी।

12. न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि अपीलार्थी प्राचार्य के पद के लिए पीएच. डी. की अहर्ता निर्धारित नहीं कर सकता था, केवल इसलिए कि पहले उक्त शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं थी या ना ही अपेक्षित थी। भर्ती नियम यूपीएससी के परामर्श से तैयार किए गए थे, ताकि यूजीसी के दिशा-निर्देश अनुरूप पीएच.डी डीग्री को प्राचार्यों की सीधी भर्ती के लिए पात्रता योग्यता के रूप में निर्धारित किया जा सके। वास्तव में, यहां तक कि पंजाब शैक्षणिक सेवा (कॉलेज ग्रेड (कक्षा-प्रथम) नियम, 1976 ने पीएच.डी को निर्धारित किया गया। इसी प्रकार कई राज्यों में, कॉलेज प्रचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएच.डी अपेक्षित है। जब उक्त योग्यता प्राचार्य के पद के कर्तव्यों और कार्यों से असंबंधित नहीं है और शिक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए यथोचित रूप से प्रासंगिक है, तो अपेक्षित योग्यता के रूप में उक्त प्रावधान में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। अब यह निश्चित हो गया है कि किसी भी भर्ती के लिए चयन की प्रक्रिया और न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना नियम बनाने वाले प्राधिकरण या नियुक्ति प्राधिकरण का कार्य है। जब तक नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यताएं यथोचित रूप से प्रासंगिक हैं और पद से जुड़े कार्यों और कर्तव्यों के साथ

उनका तर्क संगत संबंध है और संविधान, कानून और नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, तब तक न्यायालय और न्यायाधिकरण न तो योग्यता निर्धारित कर सकते हैं और न ही संबंधित प्राधिकरण की शक्तियों पर अंकुश लगा सकते हैं। (देखेः जे. रंगास्वामी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 1990 (1) एससीसी 288 और पी.यू. जोशी बनाम महालेखाकार 2003 (2) एससीसी 632)।

किसी भी नियमों के अभाव में, अनुच्छेद 309 या कानून के तहत, अपीलार्थी को प्रशासन की अपनी सामान्य शक्तियों के तहत नियुक्ति करने और ऐसे पात्रता मानदंड निर्धारित करने की शक्तियां थी, जिन्हे आवश्यक और उचित पाया गया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पीएच.डी की योग्यता का अभिनिर्धारण अनुचित है।

13. अधिकरण और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिकरण 1989 और 1991 में दिनांक 20.8.1987 के पूर्ववर्ती प्रशासनिक निर्देशों को स्वीकार कर, यू. टी. संवर्ग के कर्मचारियों को उक्त पद की भर्ती के लिए योग्य माना। तथ्य यह है कि उस समय पीएच.डी डिग्री पर जोर नहीं दिया गया था इसका अर्थ यह नहीं है कि भविष्य में कभी भी पीएच.डी डिग्री की योग्यता अपेक्षित नहीं होगी। यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पीएच.डी. डिग्री को सीधी भर्ती में अपेक्षित योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है जिसे यूपीएससी द्वारा स्वीकार किया गया। अतः

केवल इसलिए कि कुछ पूर्व के अवसरों पर, प्रिंसिपल के पदों को यू.टी. कैडर के व्याख्याताओं द्वारा पीएच.डी. डिग्री के बिना भी भरा गया था, यह तर्क संगत नहीं है कि इसके बाद पीएच.डी. डिग्री को अपेक्षित योग्यता के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता।

14. अधिकरण और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पूर्व में प्रिंसिपल की नियुक्ति करते समय 1976 के पंजाब नियम पालन किया गया हो, इस बाबत् कोई दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किये गये, इस आधार पर उक्त नियम प्रभावी नहीं थे यह न्यायोचित नहीं है। जबकि अपीलार्थी ने अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले पंजाब नियमों को अपनाते हुए दिनांक 13.1.1992 को अधिसूचना जारी की थी, विवादित नहीं है। इसलिए, जब अपीलार्थी ने उक्त निर्देशों के अनुसार कार्य किया, तो यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या 1992 से 2001 के मध्य उक्त नियमों को वास्तव में उन्हें लागू किया गया था। दिनांक 13.01.1992 की अधिसूचना को अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अभिनिर्धारण से अपास्त नहीं किया जा सकता।

15. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील स्वीकार की जाती है और अधिकरण के दिनांक 22.4.2002 के आदेश और उच्च न्यायालय के दिनांक 26.10.2005 के आदेश को अपास्त किया जाता है। रेस्पोडेंट संख्या

2 से 5 द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन (साधारण आवेदन संख्या. 648-सीएच 2001) को खारिज किया जाता है।

चण्डीगढ प्रशासन को दिनांक 14.7.2001 की अधिसूचना जारी होने से पहले प्रचलित पात्रता मानदंडों के अनुसार प्राचार्यों की रिक्तियों को भरने का निर्देश दिये जाने की प्रार्थना को अस्वीकार किया। मास्टर डिग्री स्तर की परीक्षा में 55 प्रतिशत अंकों के साथ डॉक्टरेट की डिग्री या समकक्ष की शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाली अधिसूचना या किसी भी विश्वविद्यालय या समकक्ष से संबद्ध कॉलेज में डिग्री कक्षाओं के 12 साल के शिक्षण अनुभव को सीधे भर्ती द्वारा पद भरने के लिए योग्यता निर्धारित करने के रूप में बरकरार रखा जाता है।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजीत कुमार हिंगर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।